रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 964] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2006/भाद्र 8, 1928
No. 964] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2006/BHADRA 8, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2006

का.आ. 1377(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

श्री येरेननायडू, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति को, डा० कर्ण सिंह, आसीन संसद सदस्य (राज्य सभा) और कतिपय अन्य संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 14 मार्च की एक याचिका और 20 मार्च, 2006 की दूसरी याचिका, जिन पर तेलुगुदेशम संसदीय दल के कतिपय अन्य संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, प्रस्तुत की गई हैं;

और श्री आई० जी० खण्डेलवाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति को, डा० कर्ण सिंह और नौ अन्य संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 24 मार्च, 2006 की एक अन्य याचिका, प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याचियों ने यह प्रकथन किया है कि डा० कर्ण सिंह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे जिसे अभिकथित रुप से लाभ का पद कहा गया है;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 21 मार्च, 22 मार्च और 31 मार्च, 2006 के निर्देशों द्वारा इस प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या

अन्य संसद सदस्यों के साथ डा० कर्ण सिंह संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं या नहीं;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है;

और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि डा० कर्ण सिंह को 19 अगस्त, 2005 को तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जबकि उनकी राज्य सभा की सदस्यता का वर्तमान कार्यकाल 28 जनवरी, 2006 को आरंभ हुआ था, अतः यह अभिकथित रुप से निर्वाचन - पूर्व निरर्हता का मामला है;

और निर्वाचन आयोग ने यह राय दी है कि इन याचिकाओं को, जहां तक वे डा० कर्ण सिंह के संसद सदस्य (राज्य सभा) होने के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित है, जो यदि काई मामला है तो निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है या उनका राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चय नहीं किया जा सकता है और यह कि इसलिए पूर्वोक्त याचिकाएं राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं हैं;

और निर्वाचन आयोग उक्त याचिकाओं में उल्लिखित अन्य संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हताओं के लंबित मामलों पर पृथक रुप से विचार करने का प्रस्ताव करता है क्योंकि वे मामले इस मामले से भिन्न हैं;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री येरेननायडू, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा प्रस्तुत याचिका, जिस पर तेलुगुदेशम संसदीय दल के अन्य संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और श्री आई० जी० खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत याचिका, जहां तक उनका संबंध डा० कर्ण सिंह के संसद सदस्य (राज्य सभा) होने के लिए अभिकथित निरर्हता से है, चलने योग्य नहीं है ।

भारत का राष्ट्रपति

23 अगस्त, 2006.

[फा. सं. एच. 11026(17)/2006-लेग. II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव

उपाबन्ध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन डा. कर्ण सिंह के राज्य सभा सदस्य बने रहने के लिए अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 7-8 और 36

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह राय भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 21 मार्च, 22 मार्च और 31 मार्च, 2006 के तीन निर्देशों से संबंधित है जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन इस प्रश्न के संबंध में कि क्या अन्य लोगों के साथ डा. कर्ण सिंह राज्य सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं, निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है । तारीख 21 मार्च, 2006 और 22 मार्च, 2006 के निर्देश, श्री येरेननायडू, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 14 मार्च और 20 मार्च, 2006 की ऐसी याचिकाओं से, जिन पर तेलुगुदेशम संसदीय दल के अन्य संसद सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए थे, उद्भूत हुए हैं । तारीख 31 मार्च, 2006 का निर्देश श्री आई.जी. खण्डेलवाल द्वारा राष्ट्रपति को डा. कर्ण सिंह और याचिका में उल्लिखित नौ अन्य संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर प्रस्तुत तारीख 24 मार्च, 2006 की याचिका से संबंधित है ।

2. यह राय डा. कर्ण सिंह की, जो 31 दिसंबर, 2005 को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली से राज्य सभा में निर्वाचित हुए थे, अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है । श्री येरेननायडू और श्री खण्डेलवाल, दोनों ही याचिकाओं में एक कठोर कथन अंतर्विष्ट था कि डा. कर्ण सिंह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) के

अध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे । तथापि, याचिका में उक्त पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था और न ही उक्त पद धारण करने से डा. कर्ण सिंह को होने वाले किसी 'लाभ' के संबंध में ब्यौरे उल्लिखित थे । अनुच्छेद 103(1) के अधीन ऐसी याचिकाओं के संबंध में विनिश्चय करने के लिए अभिकथित पद पर नियुक्ति की तारीख महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल ऐसे मामले ही, जहां सदन का कोई आसीन सदस्य , सदन का सदस्य बनने के पश्चात् निरर्हता उपगत करता है, उक्त अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं । चूंकि याचिकाओं में डा. कर्ण सिंह की आईसीसीआर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तारीख के संबंध में कोई कथन अंतर्विष्ट नहीं था, आयोग ने याचियों को डा. कर्ण सिंह की उक्त पद पर नियुक्ति की तारीख के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी तथा साथ ही इस दलील को साबित करने के लिए कि डा. सिंह अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थान्तर्गत लाभ का पद धारण कर रहे थे, सभी सुसंगत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा था । श्री खण्डेलवाल ने, अपने तारीख 10 मई, 2006 के आवेदन में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए 3 मास के समय का अनुरोध किया था । आयोग ने इस अनुरोध पर विचार किया और उनसे 22 जून, 2006 तक अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा । श्री येरेननायडू ने तारीख 15 मई, 2006 का एक पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि वे अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर रहे थे और एक व्यष्टि के रूप में उन्हें इसके लिए काफी समय अपेक्षित होगा । उन्होंने यह अनुरोध किया कि आयोग अपेक्षित जानकारी को संबंधित सरकारी विभाग से प्राप्त कर सकता है ।

3. चूंकि याचियों से कोई और जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए आयोग ने विदेश मंत्रालय को सुसंगत अधिसूचना की प्रति के साथ डा. कर्ण सिंह की पूर्वोक्त पद पर नियुक्ति की तारीख के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा । उसके प्रत्युत्तर में, उक्त मंत्रालय ने 30 जून, 2006 को अपनी तारीख 22 अगस्त, 2005 की अधिसूचना की एक प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें डा. कर्ण सिंह की आईसीसीआर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है । यह अधिसूचना यह दर्शित करती है कि यह नियुक्ति 19 अगस्त, 2005 से, तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई थी ।

4. जैसा कि पहले ही ऊपर पैरा 2 में उल्लेख किया गया है कि डा. कर्ण सिंह की राज्य सभा की वर्तमान सदस्यता पिछले वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली से उस सदन के द्विवर्षीय निर्वाचनों में उनके निर्वाचन के आधार पर है । उन्हें 31 दिसंबर, 2005 को राज्य सभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था और उनका वर्तमान कार्यकाल 28 जनवरी, 2006 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 71 के अधीन उनका नाम अधिसूचित किए जाने पर 28 जनवरी, 2006 से आरंभ हुआ । इस प्रकार इस याचिका में उठाया गया प्रश्न डा. कर्ण सिंह की ऐसी अभिकथित निरर्हता से संबंधित है जो 31 दिसंबर, 2005 को राज्य सभा के लिए उनके निर्वाचनों

के समय और उससे पूर्व विद्यमान थी । यह सत्य है कि डा. कर्ण सिंह प्रश्नगत पद पर अगस्त, 2005 में उनकी नियुक्ति के समय राज्य सभा के सदस्य थे । किन्तु राज्य सभा की उनकी तत्कालीन सदस्यता का कार्यकाल 27 जनवरी, 2006 को समाप्त हो गया था । अतः उनकी ऐसी तत्कालीन सदस्यता, जो 27 जनवरी, 2006 को उनके पूर्व कार्यकाल की समाप्ति के साथ अब समाप्त हो चुकी है, के संबंध में उनकी नियुक्ति की विवक्षा पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब यह मुद्दा समाप्त हो चुका है (कृपया श्री बलवीर के. पुंज और श्री निलोत्पल बासु, (राज्य सभा सदस्य) से संबंधित 2006 के निर्देश मामला संख्या 10 और 3 में आयोग की तारीख 07.04.06 और 06.06.06 की राय देखें) ।

5. इस प्रकार, जहां तक राज्य सभा में डा. कर्ण सिंह की वर्तमान सदस्यता का संबंध है, यदि कोई मामला है तो यह एक निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है । यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन संसद के आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल सदन के सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के पश्चात् उपगत निरर्हता के मामले में ही उत्पन्न होती है । अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्न के संबंध में जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर केवल पश्च-निर्वाचन निरर्हता के मामले में भी उत्पन्न होती है । निर्वाचन—पूर्व निरर्हता, अर्थात् ऐसी निरर्हता का कोई प्रश्न जिससे कोई व्यक्ति उसके निर्वाचन के समय या निर्वाचन से पूर्व ग्रस्त था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग-6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के द्वारा ही उठाया जा सकता है और न कि अनुच्छेद 103(1) के अधीन । इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201); बृंदाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892); निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609); आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की श्रृंखला निर्देश का उल्लेख किया जाता है । पूर्व में अन्य इसी प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा आयोग को किए गए निर्देशों के संबंध में इसी प्रकार की राय दी है ।

6. ऊपर निर्दिष्ट सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए डा. कर्ण सिंह की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को, जो यदि कोई मामला है तो निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है । निर्वाचन आयोग के पास ऐसी अभिकथित निर्वाचन -पूर्व निरर्हता के प्रश्न के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त करने की भी कोई अधिकारिता नहीं है । अतः, वर्तमान याचिकाएं, जहां तक उनका संबंध डा. कर्ण सिंह की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से है, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं हैं ।

2671 GI/06-2

7. तदनुसार, डा. कर्ण सिंह की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में, पैरा 1 में निर्दिष्ट राष्ट्रपति से प्राप्त तीनों निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त आशय की इस राय के साथ वापस भेजा जाता है कि ये संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन चलने योग्य नहीं हैं । याचिकाओं में उल्लिखित अन्य संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर, जो अभी भी राय दिए जाने के लिए लंबित हैं, पृथक रूप से विचार किया जा रहा है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस.वाई. कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त	(एन. गोपालस्वामी) मुख्य निर्वाचन आयुक्त	(नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली:

तारीख: 31 जुलाई, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2006

S.O. 1377(E).— The following Order made by the President is published for general information :-

ORDER

Whereas a petition dated the 14th March, 2006 and another petition dated the 20th March, 2006 of alleged disqualification of Dr. Karan Singh, a sitting Member of Parliament (Rajya Sabha) and certain other Members of Parliament under clause (1) of article 103 of the Constitution have been submitted to the President by Shri Yerrannaidu, Member of Parliament (Lok Sabha) and signed by certain other Members of Parliament of Telugu Desam Parliamentary Party;

And whereas another petition dated the 24th March, 2006 of alleged disqualification of Dr. Karan Singh and nine other Members of Parliament under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri I.G. Khandelwal;

And whereas the said petitioners have averred that Dr. Karan Singh was holding the office of President of the Indian Council of Cultural Relations, which is alleged to be an office of profit;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under references dated 21st March, 2006, 22nd March, 2006 and 31st March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Dr. Karan Singh, among other Members of Parliament, became subject to disqualification for being a Member of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex);

And whereas the Election Commission has noted that Dr. Karan Singh was appointed as President of the Indian Council of Cultural Relations on 19th August, 2005, for a period of three years while his current term of membership of Rajya Sabha commenced on 28th January, 2006 and hence, it is a case of alleged pre-election disqualification;

And whereas the Election Commission has given its opinion that the present petitions, in so far as they relate to the alleged disqualification of Dr. Karan Singh for being a Member of Parliament (Rajya Sabha), being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised before, or decided by, the President under clause (1) of article 103 of the Constitution and that the aforesaid petitions are, therefore, not maintainable before the President;

And whereas the Election Commission proposes to deal with the pending cases of alleged disqualification of other Members of Parliament mentioned in the said petitions separately, as they stand on a different footing;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the petitions submitted by Shri Yerrannaidu, Member of Parliament (Lok Sabha) and signed by other Members of Parliament of Telugu Desam Parliamentary Party and the petition of Shri I.G. Khandelwal, are not maintainable, in so far as they relate to the question of alleged disqualification of Dr. Karan Singh for being a Member of Parliament (Rajya Sabha).

23rd August, 2006. President of India

[F. No. H-11026(17)/2006-Leg. II]

Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.

Annexure

Election Commission of India

In re:
Alleged disqualification of Dr. Karan Singh, Member of the Rajya Sabha under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Cases Nos. 7-8 and 36 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This opinion relates to three references dated 21st March, 22nd March and 31st March, 2006, from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking opinion of the Election Commission on the question whether, among others, Dr. Karan Singh, has become subject to disqualification for being Member of the Rajya Sabha, under Article 102 (1)(a) of the Constitution. References dated 21st March, 2006 and 22nd March, 2006 arose out of petitions dated 14th March and 20th March, 2006 submitted to the President by Sh. Yerrannaidu, MP (Lok Sabha) and signed by other MPs of Telugu Desam Parliamentary Party. Reference dated 31st March, 2006, relates to a petition dated 24th March, 2006 submitted by Sh. I.G. Khandelwal on the question of alleged disqualification of Dr. Karan Singh and nine other members of Parliament mentioned in the petition.

2. The present opinion relates to the question of alleged disqualification of Dr.Karan Singh, who was elected to the Rajya Sabha from NCT of Delhi on 31st December, 2005. The petitions of both Sh. Yerrannaidu and Sh. Khandelwal contained a bald statement that Dr. Karan Singh was holding the office of President of the Indian Council of Cultural Relations (ICCR). The date of his appointment to the said office was, however, not mentioned in the petition, nor was there any mention of details regarding any 'profit' to Dr. Karan Singh on account of holding the said office. The date of appointment to the alleged office is crucial in taking a decision on such petitions under Article 103 (1), as it is only those cases where a sitting member of the House incurs disqualification after becoming a member of the House that come within the jurisdiction of the President under the said Article. As the petitions did not contain any statement with regard to the date of appointment of Dr. Karan Singh as President of ICCR, the Commission asked the petitioners to furnish specific information about the date of appointment of Dr. Karan Singh to the said office and also all relevant information/documents to substantiate the contention that Dr. Singh was holding an office of profit within the meaning of Article 102 (1) (a). Sh. Khandelwal, in an application dated 10th May, 2006, requested for time of 3 months to furnish the information. The Commission considered this request and asked him to furnish the requisite information by 22nd June, 2006. Sh. Yerrannaidu submitted a letter dated 15th May, 2006, stating that he was in the process of collecting the requisite information, and that as an individual, he would require substantial time for the same. He made a request that the Commission may obtain the requisite information from the Govt. department concerned.

3. As nothing further was heard from the petitioners, the Commission asked the Ministry of External Affairs to furnish the information about the date of appointment of Dr. Karan Singh to the aforesaid office, along with copy of the relevant notification. In reply thereto, the said Ministry has submitted on 30th June,2006, a copy of their Notification dated 22nd August, 2005, notifying the appointment of Dr. Karan Singh as President of ICCR. The Notification shows that the appointment was made w.e.f 19th August, 2005, for a period of three years.

4. As already noted in paragraph 2 above, Dr. Karan Singh's current membership in the Rajya Sabha is on the basis of his election to that House at the biennial election from NCT of Delhi in December, last year. He was declared elected to the Rajya Sabha on 31st December, 2005, and his current term of office commenced on 28th January, 2006 on his name being notified under Section 71 of the Representation of the People Act, 1951, on 28th January, 2006. Thus, the question raised in the present petition relates to alleged disqualification of Dr. Karan Singh, which existed at the time of, and prior to, his election to the Rajya Sabha on 31st December, 2005 . It is true that Dr. Karan Singh was member of the Rajya Sabha at the time of his appointment to the office in question in August 2005. But, the term of his then membership of the Rajya Sabha expired on 27th January, 2006. Therefore, there is no need to look at the implicatior of his appointment with regard to the then membership which has since expired, as with the expiry of his earlier term on 27th January, 2006, the issue ceased to be a live issue (kindly see the opinions dated 07-04-06 and 06-06-06 of the Commission in Reference Case Nos. 10 and 3 of 2006 relating to Sh. Balvir K. Punj and Sh. Nilotpal Basu (Members of Rajya Sabha).

5. Thus in so far as the present membership of Dr. Karan Singh in the Rajya Sabha is concerned, it is a case of pre-election disqualification, if at all. It is well settled that under Article 103(1) of the Constitution of India, the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting member of Parliament arises only in the case of disqualification which is incurred after his election as member of the House. The jurisdiction of the Election Commission to inquire into such question of alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103(2) of the Constitution, also arises only in case of post-election disqualification. Any question of pre-election disqualification, i.e. disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to his election, can be raised only by means of an election petition presented in accordance with the provisions of Art. 329(b) of the Constitution read with Part-VI of the Representation of the People Act, 1951, and not under Article 103(1). Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609); etc. In a very large number of other similar cases in the past, the Commission has given similar opinion, on the references made to it by the President and Governors of States.

6. In view of the well settled constitutional position, referred to above, the question of the alleged disqualification of Dr. Karan Singh, being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised under Article 103(1) of the Constitution. The Election Commission also has no

jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. The present petitions, in so far as they relate to the question of alleged disqualification of Dr. Karan Singh are, therefore, not maintainable before the President in terms of Article 103(1) of the Constitution.

7. The three references received from the President, referred to in paragraph 1, with regard to the question of alleged disqualification of Dr. Karan Singh, are accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect that these are not maintainable under Article 103(1) of the Constitution. The question of alleged disqualification of other MPs mentioned in the petitions, which are still pending for opinion, are being considered separately.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(S.Y.Quraishi)	**(N.Gopalaswami)**	**(Navin B.Chawla)**
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place : New Delhi
Dated: 31st July, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.